



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09082024-256233
CG-DL-E-09082024-256233

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3067]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 8, 2024/श्रावण 17, 1946

No. 3067]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 8, 2024/SHRAVANA 17, 1946

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अगस्त, 2024

का.आ. 3217(अ).—केंद्र सरकार, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2012 (2012 का 37) द्वारा यथा संशोधित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 (1956 का 25) की धारा 4 (घ) और 4 (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, कल्याणी के संस्थान निकाय के सदस्य के रूप में निम्नलिखित (व्यक्तियों) को एतद्वारा नामित करती है:

- अपर सचिव एवं वित्त सलाहकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार – वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि
- निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर— शिक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधि
- सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार या उनके नामांकित व्यक्ति
- मुख्य सचिव, पश्चिम बंगाल सरकार या उनके नामांकित व्यक्ति

सदस्यगण का कार्यकाल अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 की धारा 6 में निहित प्रावधानों द्वारा शासित होगा।

[फा. सं. जेड-28016/65/2017-पीएमएसएसवाई-IV(3101638)]

अंकिता मिश्रा बुंदेला, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th August, 2024

S.O. 3217(E).— In exercise of powers conferred by Section 4(d) & 4(e) of the All India Institute of Medical Sciences Act, 1956 (25 of 1956) as amended by All India Institute of Medical Sciences (Amendment) Act, 2012 (37 of 2012), the Central Government hereby nominates the following as member of the Institute Body of All India Institute of Medical Sciences, **Kalyani** :

4. Additional Secretary & Financial Advisor, Ministry of Health & Family Welfare, Government of India - Representative of Ministry of Finance
5. Director, Indian Institute of Technology, Kharagpur - Representative of Ministry of Education
6. Secretary, Ministry of Health & Family Welfare, Government of India or nominee
7. Chief Secretary, Government of West Bengal, or nominee

The terms of office of member shall be governed by the provisions contained in Section 6 of the All India Institute of Medical Sciences Act, 1956.

[F. No. Z-28016/65/2017-PMSSY-IV(3101638)]

ANKITA MISHRA BUNDELA, Jt. Secy.